भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-326

उत्तर दिनांक - 28/11/2024 को दिया गया

भारी जल (हेवी वाटर) उत्पादन का घरेलू विस्तार

326. डा. अजित माधवराव गोपछड़े

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) आज की तिथि तक सरकार द्वारा विभिन्न स्थलों पर भारी जल (हेवी वाटर) उत्पादन के विस्तार हेतु स्थल-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार से हजीरा, गुजरात में भारी जल उत्पादन के लिए निर्धारित एवं अधिगृहित भूमि के भू-उपयोग को संशोधित करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में गुजरात सरकार से प्राप्त प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारी जल के उत्पादन के घरेलू विस्तार के क्या कारण हैं और क्या भारी जल का निर्यात किया गया है और विगत तीन वर्षों के निर्यात आंकड़ों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) भारी पानी बोर्ड, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार ने तीन स्थानों अर्थात मणुगुरु (तेलंगाना), कोटा (राजस्थान) और हजीरा (गुजरात) में भारी पानी उत्पादन के विस्तार के लिए कदम उठाए हैं। अभिकल्प आधार रिपोर्ट (डीबीआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

(ख) हां।

(ग) डीएई और मेसर्स कृभको दोनों द्वारा दिनांक 25.09.2024 को गुजरात सरकार को एक पत्र भेजा गया है और अभी तक गुजरात सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा नियोजित आगामी दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) के सहयोग हेतु भारी पानी उत्पादन का विस्तार आवश्यक है।
हां, पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 186.67 मीट्रिक टन भारी पानी का निर्यात किया गया है।

*****